दिनांक:13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा ट्यूबवेल चोरी की अलग-अलग घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार व 01 बालअपचारी को हिरासत में लिया गया, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बरामद

घटनाओं का विवरण:-

1. **दिनांक 02.07.2026** को वादी श्री नकली राम शर्मा पुत्र ब्रह्यनन्द शर्मा निवासी ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की ट्यूबवेल से मोटर व तार चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 165/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।
2. **दिनांक 10.08.2026** को वादी श्री कंवरपाल सिंह पुत्र सूरजमल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की ट्यूबवेल से मोटर व तार चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बड़गांव पर मु0अ0सं0 202/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।
3. **दिनांक 01.09.2026** को वादी श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम भगवानपुर थाना बडगाँव जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की ट्यूबवेल से मोटर व तार चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बड़गांव पर मु0अ0सं0 224/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.09.2026 को सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 बाल अपचारी व 01 शातिर चोर **1.शोएब पुत्र इरफान उर्फ फाना उर्फ ढाई निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर हाल पता ग्राम ढमोला रसूलपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को सर्विस रोड बडगांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गये माल व चोरी में प्रयुक्त वाहन व उपकरण की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अन्य माल की बरामदगी के आधार पर थाना बड़गांव पर मु0अ0स0 232/26 धारा 317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि बालअपचारी उपरोक्त की कबाडी की दुकान है हम अपने साथियो के साथ मिलकर जंगलो से ट्यूबवेलों से मोटर व बिजली के तार आदि अन्य सामान चोरी करते है। हम चारो मिलकर दिन मे मोटर साईकिलो से ट्यूबवैलो की रेकी कर चोरी के लिए चिन्हित कर लेते है और रात्रि मे हम

चारो साथी मिलकर अपनी सेन्ट्रो कार व मोटरसाइकिल रेहडा (सामान ढोने वाला) की मदद से ट्यूबवैलो से चोरी किये हुए मोटर व अन्य बिजली के सामान को ले जाकर जंगल में छिपा देते थे। जिसको हम बाद में मौका देखकर बड़े कबाड़ी को बेज देते थे। आज भी हम अपने पूर्व मे चोरी किये गये माल को बेचने जाने की फिराक मे थे कि आपने हम दोनो को पकड लिया व हमारे सह साथी मौके से भाग गये।

जांच के दौरान प्रकाश में आया कि एक कबाड़ी दुकानदार (बालअपचारी) अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी किए गए मोटर/विद्युत उपकरण एवं अन्य कबाड़ को पहले जंगल/सुनसान स्थान पर छिपाकर रखते थे। इसके बाद मौका देखकर उक्त कबाड़ को अपनी कबाड़ की दुकान पर लाकर काट-छांट कर बड़े कबाड़ी को बेच दिया जाता था। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को चिन्हित कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई तथा उनके कब्जे/निशानदेही से चोरी के कबाड़/मोटर संबंधी सामान की बरामदगी की गई। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों एवं चोरी के माल को खरीदने वाले बड़े कबाड़ी के संबंध में भी जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. *शोएब पुत्र इरफान उर्फ फाना उर्फ ढाई निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर हाल पता ग्राम ढमोला रसूलपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।*
2. *एक बाल अपचारी*

बरामदगी का विवरणः

- ***02 रेहड़े सामान ढोने वाले मय मो0सा0 इंजन***
- ***02 मोटर साईकिल***
- ***01 सैन्ट्रो कार(घटना में प्रयुक्त)***
- ***11 मोटर की सापट***
- ***11 मोटर की बॉडी***
- ***05 मोटर बॉडी कवर बिना सापट***
- ***02 ट्यूबवेल मोटर***
- ***01 सबमर्सिबल मोटर***
- ***10 किलो तांबे का तार***
- ***1.5 किलो एल्युमीनियम का तार***
- ***320 मीटर बिजली केबल***
- ***चोरी करने के उपकरण (02 बड़े हथोड़े, 02 सण्डाली, 02 पाने, 04 चाबी के रिंच, 01 प्लास, 01 रेती, गौदाला)***

अभियुक्त शोएब का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 14/2020 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 15/2020 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 151/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*

4. मु0अ0सं0 165/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 202/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 224/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 232/2026 धारा 317(5) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

बाल अपचारी का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 165/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 202/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 224/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 232/2026 धारा 317(5) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1. श्री नरेन्द्र भडाना थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 आलोक थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 हितेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5. हे0कां0 521 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
6. रि0का0 112 हिमान्शु कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
7. रि0का0 782 अभिषेक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर व एसओजी/स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में नकली सिक्के व नकली सिक्के बनाने की सामग्री व 02 कार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार कौशिक के कुशल नेतृत्व दिनांक 12.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 05 ***अभियुक्तगण 1.उपकार लूथरा उर्फ अभय प्रताप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी फ्लैट नं0 –178/3 टावर डी-5 पेन्टाहोम सुसायटी वीआईपी रोड जिरखपुर जनपद मोहाली पंजाब 2.हिमांशु उर्फ गुल्लू पुत्र अजय निवासी बरसी थाना तीतरों जनपद सहारनपुर 3.कुलदीप पुत्र ब्रजबीर निवासी मेघाखेडी थाना नईमण्डी जनपद मुजफ्फर नगर हाल पता आवास विकास बलवान डेरी के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 4. संतोष चौरसिया उर्फ जनार्धन पुत्र धोरन राउत निवासी लड्डूगाव थाना राजनगर जनपद मधुबनी बिहार 5. अनुराग पाल उर्फ लंकेश पुत्र पारस नाथ पाल निवासी पीपरीश रामेश्वरपुर थाना भदोही, जनपद संत रविदास नगर को*** *गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के* ***कब्जे कुल 1,28,000 रुपये (20-20 के 6400 सिक्के) व 10,000 रुपये(500-500 के 20 नोट), 08 मोबाईल फोन, 05 लोहे की डाई सिक्के बनाने की तथा 01 कार ईको स्पोर्ट 06 नग मशीन सिक्के तैयार करने वाली, डाई बिना मौहर – 39, डाई मौहर – 20, एक मशीन डाई पोलिस, 02 घिसाई पत्थर, 04 ब्रुश, 08 रेती, 05 कुल हथौडी, एक लोहा काटने की आरी, 02 पाईप रिंच, एक शिकन्जा, 16 रिंच, 06 पाने, 01 पेचकश, 01 प्लास, एक वर्नियर कैलीपर्स, इलेक्ट्रोनिक कांटा, एक ऑवन, अदबने सिक्के कीमत करीब 05 लाख व 07 हिसाब रजिस्टर/पैड व एक चैक बुक, एक स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 नं0 – UP70HZ8108*** *बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 218/26 धारा – 178(2)/179/181 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण: -

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग सब मिलकर नकली सिक्के बनाने के उपकरण व डाई से 20-20 के नकली सिक्के बनाकर बाजार में व सरकारी शराब के ठेकों, टोल टैक्स आदि पर चला रहे थे तथा अब तक हम लोग करीब 70 करोड से ज्यादा के नकली सिक्के बाजार मे चला चुके है। इस काम में हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता:-

1. *उपकार लूथरा उर्फ अभय प्रताप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी फ्लैट नं0 –178/3 टावर डी-5 पेन्टाहोम सुसायटी वीआईपी रोड जिरखपुर जनपद मोहाली पंजाब।*
2. *हिमांशु उर्फ गुल्लू पुत्र अजय निवासी बरसी थाना तीतरों जनपद सहारनपुर।*
3. *कुलदीप पुत्र ब्रजबीर निवासी मेघाखेडी थाना नईमण्डी जनपद मुजफ्फर नगर हाल पता आवास विकास बलवान डेरी के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।*
4. *संतोष चौरसिया उर्फ जनार्धन पुत्र धोरन राउत निवासी लड्डूगाव थाना राजनगर जनपद मधुबनी बिहार।*
5. *अनुराग पाल उर्फ लंकेश पुत्र पारस नाथ पाल निवासी पीपरीश रामेश्वरपुर थाना भदोही, जनपद संत रविदास नगर।*

बरामदगी का विवरण-

- *कुल 1,28,000/- रुपये (20-20 के -6400 सिक्के)*
- *कुल 10,000/- रुपये (500-500 के 20 नोट)*

- *05 लोहे की डाई सिक्के बनाने की*
- *08 मोबाईल फोन*
- *01 अदद कार ईको स्पोर्ट*
- *06 मशीन सिक्के तैयार करने वाली*
- *डाई बिना मौहर – 39, डाई मौहर – 20*
- *एक मशीन डाई पोलिस, 02 घिसाई पत्थर*
- *04 ब्रुश, 08 रेती, 05 कुल हथौडी*
- *एक लोहा काटने की आरी*
- *02 पाईप रिंच, एक शिकन्जा*
- *16 रिंच, 06 पाने, 01 पेचकश, 01 प्लास*
- *एक बर्नियर कैलीपर्स*
- *इलेक्ट्रोनिक कांटा*
- *एक ऑवन*
- *अधबने सिक्के कीमत करीब 05 लाख*
- *07 अदद हिसाब रजिस्टर/पैड व एक चैक बुक*
- *01 स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 नं0 – UP70HZ8108*

गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु उर्फ गुल्लू का अपराधिक इतिहास -

1. *मु0अ0सं0 122/2015 धारा 356 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
2. *मु0अ0स0 180/2015 धारा 392 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
3. *मु0अ0स0 226/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 41/102 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार कौशिक थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
2. *अतिरिक्त निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
4. *उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
5. *है0का0 738 विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
6. *है0का0 306 सोनू कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
7. *रि0का0 1289 अरूण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
8. *रि0का0 1331 मिंटी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
9. *रि0का0 1273 शिवम सागर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।*
10. *निरीक्षक राजीव कुमार सक्सेना प्रभारी एसओजी जनपद सहारनपुर।*
11. *उ0नि0 नीरज पंवार प्रभारी स्वॉट टीम जनपद सहारनपुर।*
12. *है0का0 अमरदीप स्वाट जनपद सहारनपुर।*
13. *है0का0 हरेन्द्र स्वॉट टीम जनपद सहारनपुर।*
14. *है0का0 अमित पंवार स्वॉट टीम जनपद सहारनपुर।*
15. *है0का0 अमित चिकारा स्वॉट टीम जनपद सहारनपुर।*
16. *है0का0 सोनू सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर।*

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मारपीट कर जबरन वसूली करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.09.2026 को वादी मो0 शहजान पुत्र इलियास निवासी ग्राम मिर्जुपुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत विपक्षी उस्मान पुत्र जमील निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व उसके साथियो के विरुद्ध दुष्कर्म की धमकी देकर वादी से 3,75,000/- रुपये वसूलने व वादी को रस्सी से बांधकर मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 290/26 धारा 308(6)/127(2)/115(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.09.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***उस्मान पुत्र जमील निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*** *को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उस्मान पुत्र जमील निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री रामबीर शाक्य थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।*
3. *का0 1666 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 02 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 24 बोतल अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों / शराब तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर की पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 नशा तस्कर 1.अर्पण पुत्र गब्बार 2.अनीस पुत्र शेर सिंह निवासी गण ग्राम ताजेवाला थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर हरियाणा को मिर्जापुर बिजलीघर मिर्जापुर के पास से समय 21.17 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण अर्पण , अनीस उपरोक्त के कब्जे से 12-12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का माल्टा बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गण अर्पण , अनीस उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 291/26 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. *अर्पण पुत्र गब्बार निवासी ग्राम ताजेवाला थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर हरियाणा।*
2. *अनीस पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम ताजेवाला थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर हरियाणा।*

बरामदगी का विवरण –

- *24 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का)*

गिरफ्तार अभियुक्त अनीस का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0स0 217/24 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर।*
2. *मु0अ0स0 13/23 धारा 380/411 भादवि थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर।*
3. *मु0अ0स0 158/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*

गिरफ्तार अभियुक्त अर्पण का आपराधिक तिहासः-

1. *मु0अ0स0 547/24 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली जगाधरी जिला यमुनानगर।*
2. *मु0अ0स0 548/24 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली जगाधरी जिला यमुनानगर।*
3. *मु0अ0स0 68/23 धारा 379 भादवि थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर जिला यमुनानगर।*
4. *मु0अ0स0 49/23 धारा 379 भादवि थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर जिला यमुनानगर।*
5. *मु0अ0स0 30/26 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली जगाधरी जिला यमुनानगर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
2. *का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
3. *का0 280 तरुण थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
4. *का0 1446 शुभम कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नौकरी व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोंग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03/07/2026 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त शेखर पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा वादिया को नौकरी दिलाने व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया तथा अभियुक्त के परिजनो द्वारा एक राय होकर वादिया के साथ मारपीट कर वादिया व वादिया के परिजन को जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके सम्बन्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 328/26 धारा 69/191(2)/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13/09/2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त ***शेखर पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम गोविन्द्रपुर थाना बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड*** *को ग्राम गोविंदपुर जिला हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शेखर पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम गोविन्द्रपुर थाना बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. *उप-निरीक्षक श्री केरन सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर।*
2. *का0 2218 गंगन कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।*

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल व 01 बकरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व चैकिंग का जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 13.09.2026 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति व वाहन चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण 1. ***अकरम पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट सहारनपुर 2. इन्तजार पुत्र शकील निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट सहारनपुर*** *को शाहपुर की ओर से आने वाले खडंजे से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल व 01 बकरी बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0* ***मु0अ0सं0 380/26 धारा 317(5) बीएनएस*** *पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अकरम पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट सहारनपुर ।
2. इन्तजार पुत्र शकील निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण

- *01 मोटर साइकिल (स्पलैण्डर प्लस - रजि0नं0 UK-16-B-8093)*
- *01 बकरी*

अभियुक्त अकरम का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 94/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 454/2019 धारा 323/498ए/504 भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 व ¾ मुस्लिम महिला विवाह अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 111/2021 धारा 380/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 261/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0 276/2024 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
6. *मु0अ0सं0 155/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
7. *मु0अ0सं0 105/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
8. *मु0अ0सं0 115/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
9. *मु0अ0सं0 117/2022 धारा 307 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
10. *मु0अ0सं0 118/2022 धारा 3/5 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
11. *मु0अ0सं0 207/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अरविन्द तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

2. है0का0 209 ललित शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

3. का0 1811 राहुल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

4. रि0का0 422 कुलदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराधो की रोकथाम व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 13.09.2026 को ग्राम उमाही में प्रथम पक्ष के ***गोविन्द पुत्र शीशपाल नि0 ग्राम उमाही थाना नागल जनपद सहारनपुर*** *व द्वित्तीय पक्ष के* ***शहजाद पुत्र सुलेमान नि0 ग्राम धतोली मुगल थाना फतेहपुर सहारनपुर*** *के मध्य मजदुरी के पैसे के ऊपर झगड़ा को लेकर आमदा फसाद हो रहे अभियुक्तगण उपरोक्त को शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *गोविन्द पुत्र शीशपाल नि0 ग्राम उमाही थाना नागल जनपद सहारनपुर।*
2. *शहजाद पुत्र सुलेमान नि0 ग्राम धतोली मुगल थाना फतेहपुर सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना नांगल जिला सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 संजय कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 698 सन्दीप कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।*

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.09.2026 को वादी उ0नि0 श्री संजय राणा थाना नागल जिला सहारनपुर की तहरीर पर थाना नगाल पर मु0अ0सं0 185/26 धारा 109(1),191(1),191(2),115(2),352, 351(3) BNS व 7 CLA ACT पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में थाना नगल पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.09.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***अबुजर पुत्र सलमान निवासी ग्राम चहलौली थाना नागल सहारनपुर*** *को मुखबिर की सूचना पर लाखनौर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 02.06.2026 को बच्चों की गेंद खेत में चले जाने को लेकर उसके पक्ष एवं दूसरे पक्ष के जमशेद पुत्र हनीफ आदि के बीच विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों द्वारा गाली-गलौच करते हुए लाठी-डण्डे, पाइप व सरियों से एक-दूसरे के साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में अभियुक्त, उसके पिता सलमान तथा दूसरे पक्ष के दीन मौहम्मद सहित बीच-बचाव करने वाले हमारे गांव के नौमान पुत्र मनसव व उस्मान पुत्र जमील व अबूजर पुत्र सलमान व फैय्याज पुत्र जमशेद के भी काफी चोट आयी थी व मुझे भी काफी गुस्सा आ गया था मैने भी गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से दूसरे पक्षो के लोगो के साथ मारपीट की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अबुजर पुत्र सलमान नि0 ग्राम चहलौली थाना नागल सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना नांगल सहारनपुर।
2. उ0नि0 रणपाल सिंह थाना नगाल जनपद सहारनपुर।
3. का0 2337 कृष्ण गोपाल थाना नागल जनपद सहानपुर।
4. रि0का0 1540 रिंकू थाना नागल जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार चीमा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.09.2026 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी ***मुकीम पुत्र इरफान निवासी सन्दलहेडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर*** *(संबंधित एनबीडब्ल्यू वाद सं0- 539/26 धारा 85/115(2) बीएनएस व 3/4 देहज अधि0 थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर) को गिरफ्तार किया गया। वारण्टी को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता:-

मुकीम पुत्र इरफान निवासी सन्दलहेडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. *उप निरी0 श्री विनय कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।*
2. *है0कां0 218 अय्यूब, थाना जनकपुरी सहारनपुर।*
3. *रि0कां0 1062 देवेन्द्र, थाना जनकपुरी सहारनपुर।*
4. *रि0कां0 1060 चैतन्यराज सिहं, थाना जनकपुरी सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक:13.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनाँक 20.07.2026 को वादी श्री पुष्पेन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम रघुनाथपुर उर्फ छोटी पठेड की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई कल्लू के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना व जान से मारने की नीयत से उस्तरे से गले पर वार कर घायल कर देने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 247/26 धारा 109(1),115(2), 352,351(3) बीएनएस का पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के क्रम मे धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाही:-

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये, आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 13.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के मुकमदें में वांछित अभियुक्त **रवि पुत्र रगबीर निवासी ग्राम रघुनाथपुर (छोटी पठेड) थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को यू0एस0ए0 इन्टरनेशनल स्कूल से टोडरपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

रवि पुत्र रगबीर निवासी ग्राम रघुनाथपुर (छोटी पठेड) थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1- उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2- है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3- का0 623 सोनू कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराधो की रोकथाम व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 13.09.2026 को ***1. सेठपाल पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम बढेड़ीकोली थाना नागल जनपद सहारनपुर 2. जितेन्द्र पुत्र तेजपाल निवासी पनियाली कासिमपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर*** *को आमदा फसाद करते हुए शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *सेठपाल पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम बढेड़ीकोली थाना नागल जनपद सहारनपुर।*
2. *जितेन्द्र पुत्र तेजपाल निवासी पनियाली कासिमपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना नांगल जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 शिवकार सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर*
4. *रि0का0 362 मनोज कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर*

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व चैकिंग का जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष सिंह त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त ***अनुराग उर्फ काचू पुत्र लाल सिह निवासी मौ0 बागवाला रविदास मन्दिर के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *को अम्बाला रोड नहर पटरी सिचाई विभाग के खण्डर से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 - 432/26 धारा - 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनुराग उर्फ काचू पुत्र लाल सिह निवासी मौ0 बागवाला रविदास मन्दिर के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 अवैध चाकू*

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 77/2023 धारा 380, 411 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्र0नि0 संतोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनरपुर
2. उ0नि0 अजयपाल सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 840 अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 677 विपिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 27 फ्रूटी अवैध दशी शराब बरामद

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री/तस्करी की रोकथाम एवं इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **सन्नी पुत्र भोपाल निवासी न्यू नंदपुरी कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मानकमऊ से नहर की पटरी पर थरोली की तरफ रतनाखेड़ी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे **से 27 फ्रूटी महमूला महबूबा देशी मसालेदार** शराब बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 429/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सन्नी पुत्र भोपाल निवासी न्यू नंदपुरी कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 414/2026 धारा 115(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 133/2025 धारा 115(2), 118(1), 351(3), 352 बीएनएस थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *27 फ्रूटी महमूला महबूबा देशी मसालेदार शराब।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *प्र0नि0 श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 कुलवन्त सिह मलिक सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 1913 राजन सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 2245 अंशु थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*
5. *का0 1333 सुनील थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।*

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 35 फ्रूटी अवैध दशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री/तस्करी की रोकथाम एवं इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त ***पारस पुत्र हसराज निवासी न्यू नंदपुरी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *को* ***नाले के पुल के पास निकट रेलवे लाईन*** *के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे* ***से 35 फ्रूटी महमूला महबूबा देशी मसालेदार शराब (उ0प्र0 मार्का)*** *बरामद हुयी । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त* ***पारस*** *उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर* ***मु0अ0सं0 430/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम*** *पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पारस पुत्र हसराज निवासी न्यू नंदपुरी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- *35 फ्रूटी महमूला महबूबा देशी मसालेदार शराब (उ0प्र0 मार्का)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *प्र0नि0 श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 पंकज शर्मा सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
3. *का0 2199 विष्णु चौधरी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
4. *का0 1366 शेर सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक- 13.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 33 फ्रूटी अवैध दशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री/तस्करी की रोकथाम एवं इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त ***गोकुल पुत्र विजय कुमार निवासी मौ0 बाग वाला गेन्दी के मन्दिर के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*** *को* ***सर्किट हाउस के किनारे पर बाउन्ड्री के पास*** *से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे* ***से 33 फ्रूटी महमूला महबूबा देशी मसालेदार*** *शराब (उ0प्र0 मार्का) बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त गोकुल उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर* ***मु0अ0सं0 431/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम*** *पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गोकुल पुत्र विजय कुमार निवासी मौ0 बाग वाला गेन्दी के मन्दिर के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- *33 फ्रूटी महमूला महबूबा देशी मसालेदार शराब (उ0प्र0 मार्का) ।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. *प्र0नि0 श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 शंशाक गिरी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*
3. *है0का0 31 सुभाष चन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।*